बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

कार्यालय आदेश ज्ञापांक 675 / गो0 दिनांक 15.05.2020 द्वारा अन्य राज्यों से वापस लौट रहे अरवल जिला के प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों के लिए **तीन ग्रुप** में चिन्हित कर उनके निवास के लिए प्रखंड मुख्यालय / पंचायत मुख्यालय एवं ग्राम स्तर पर क्वारंटीन कैम्प को चिन्हित किया गया था।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के **पत्रांक 2019 दिनांक 18.05.2020** द्वारा विभिन्न राज्यों से लौट रहें अप्रवासी मजदूरों को उनके आने वाले राज्य के आधार क्वारंटीन कैम्प में रखने हेतु **तीन वर्गो** में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :–

Grade	राज्य का नाम	आवासन की व्यवस्था
A	दिल्ली, मुम्बई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता	प्रखंड स्तरीय कोरोन्टाईन कैम्प
B	महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल	पंचायत स्तरीय कोरोन्टाईन कैम्प
C	उपरोक्त कंडिका **A** एवं **B** को छोड़कर कर अन्य सभी राज्य	ग्राम स्तरीय कोरोन्टाईन कैम्प

2. **Quarantine Camp का संचालन संबंधी निदेश :–**

1. **प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का संचालन – दिल्ली, मुम्बई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता** से आ रहें प्रवासी मजदूरों को 14 दिन तक प्रखंड क्वारंटीन में रखा जायेगा। प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का संचालन एवं व्यवस्था पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. **पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का संचालन – महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल** से आ रहें प्रवासी मजदूरों को 14 दिन तक पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैम्प में रखा जायेगा। पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का संचालन एवं व्यवस्था पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैम्प हेतु पंचायत में अवस्थित उच्च विद्यालय अथवा उच्च विद्यालय नहीं होने की स्थिति में कोई बडा मध्य विद्यालय का चयन किया जा सकता है। यदि उक्त पंचायत के उच्च विद्यालय को यदि पूर्व में क्वारंटीन कैम्प के रूप में चयनित नहीं किया गया है, तो वैसे उच्च विद्यालय को पंचायत क्वारंटीन कैम्प के रूप में उपयोग हेतु अधिग्रहित किया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि पंचायत में अवस्थित उच्च विद्यालय को पंचायत क्वारंटीन के रूप में उपयोग हों। पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का प्रभारी किसी पंचायत स्तरीय कर्मी यथा पंचायत सेवक / राजस्व कर्मचारी / पंचायत रोजगार सेवक / इंदिरा आवास सहायक / कृषि समन्वयक / पंचायत तकनीकी सहायक (मनरेगा) / पंचायत तकनीकी सहायक(पंचायती राज) / लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक / पंचायत कार्यपालक सहायक को बनाया जा सकता है। इनके सहयोग हेतु पंचायत स्तर के अन्य कर्मी / संबंधित विद्यालय के शिक्षक आदि को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का संचालन, व्यवस्था एवं आवासितों को दी जाने वाली सुविधा / प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैम्प के संचालन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग / इस कार्यालय के द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप होगा।
3. **ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का संचालन** – उपरोक्त कंडिका **A** एवं **B** को छोड़कर कर अन्य सभी राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भी 14 दिन तक ग्राम स्तरीय क्वारंटीन रखा जायेगा। ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्प हेतु संबंधित राजस्व ग्राम में अवस्थित बड़े एवं उपयुक्त मध्य विद्यालय / प्राथमिक विद्यालय का चयन किया जा सकता है। यद्यपि इस कार्यालय आदेश ज्ञापांक 675 / गो0 दिनांक 15.05.2020 द्वारा ग्राम स्तर पर क्वारंटीन कैम्प हेतु विद्यालय का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा उसके प्रधानाध्यापक को उक्त क्वारंटीन कैम्प का कैम्प प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। तथापि यदि उक्त

पंचायत में और विद्यालय/मध्य विद्यालय अवस्थित हों तो इस कार्य हेतु अधिग्रहित किया जाता है तथा उसका इस्तेमाल ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्प के रूप में किया जायेगा। ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का प्रभारी संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक होंगें। जिनके सहयोग हेतु उसी विद्यालय अथवा उसी राजस्व ग्राम में अवस्थित अन्य विद्यालय के शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्प का संचाल, आवासितों को दी जाने वाली सुविधा प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैम्प के संचालन पूर्व में में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप होगा। अर्थात **प्रखंड क्वारंटीन कैम्प/पंचायत क्वारंटीन कैम्प/ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्प** में दी जाने वाली सुविधा सामान्य होगी।

3. पंचायत स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय क्वांरटीन कैम्पों के संचालन में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका एवं दायित्व :–

1. संबंधित ग्राम पंचायत के **मुखिया/सरपंच एवं वार्ड सदस्य/पंच सदस्य** जन–जागरूकता एवं आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित करेंगें कि पंचायत स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्पों में रह रहें प्रवासी मजदूर कैम्पों से क्वारंटइन अवधि में बाहर नहीं जायें।
2. उनके द्वारा पंचायत स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्पों के संचालन एवं व्यवस्थाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा तथा कैम्पों के प्रभारी को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4 प्रवासी मजदूर एवं निष्क्रमण सहायता :–

प्रखंड क्वारंटीन कैम्प/पंचायत क्वारंटीन कैम्प/ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्पों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि का भुगतान पूर्व में निर्गत विभागीय निदेश के आलोक में किया जायेगा।

5 <u>COVID-19 संक्रमण की पहचान हेतु जॉच :–</u>

प्रखंड क्वारंटीन कैम्प/पंचायत क्वारंटीन कैम्प/ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्पों में लाये गये प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों की चिकित्सीय जांच के क्रम में यदि किसी व्यक्ति में कोविड–19 सक्रमण का लक्षण पाया जाता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित संबंधित प्रखंड के Health Quarantine Camp में भेजा जायेगा एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

6. पंजीकरण :–

1. राज्य के बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण प्रखंड स्तर पर होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका समुचित व्यवस्था करायेंगें तथा पंजीकरण के उपरांत ही उनके आने वाले राज्य के अनुसार उन्हें प्रखंड/पंचायत/ग्राम क्वांरटीन कैम्प में भेजा जायेगा।

2. वैसे प्रवासी मजदूर जो ट्रेन एवं बसों के अतिरिक्त अन्य साधनों से अपने गॉव पहुॅचें हों। ऐसे प्रवासी मजदूरों का भी पंजीकरण आवश्यक होगा। अतएव प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से पंचायत स्तर पर पंचायत स्तरीय पंदाधिकारी/कर्मी को नोडल पदाधिकारी के रूप में चिन्हित करेंगें। जिनका दायित्व होगा कि ट्रेन एवं बसों के अतिरिक्त अन्य साधनों से अपने गॉव पहुॅचने वाले प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार करेंगें, वैसे व्यक्तियों को क्वारंटीन कैम्प में रखवाना सुनिश्चित करेंगें तथा वे प्रखंड मुख्यालय में जाकर उनका निबंधन करायेंगें।

7. दैनिक प्रतिवेदन का प्रेषण :–

श्री बृजकिशोर पाण्डेय, भूमि सुधार उप समाहर्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष का दायित्व होगा कि वे **प्रतिदिन संध्या 04.00** बजे तक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रखंड/पंचायत/ग्राम स्तरीय क्वांरटीन कैम्पों से संबंधित प्रतिवेदन **आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना** को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

Quarantine Camp से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम

दिनांक

क्र0	प्रखंड का नाम	Quarantine Camp का नाम	कैम्प प्रभारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं0	Quarantine Camp कल तक पंजीकृत/निबंधित लोगों की संख्या	आज नए पंजीकृत लोगों की संख्या	अब तक क्वारंटीन अवधि पूर्ण कर बाहर गये लोगों की संख्या	कैम्प में शेष बचें लोगों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 693/गो0, दिनांक 19/05/2020

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अरवल एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।